दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३४४ वा | सोमवार २१ जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

वक्फ बोर्ड की ओर से अब पूरे राज्य में होगा 'तनावमुक्ति व नोंदणी शिबिर' आयोजन

- पूरे महाराष्ट्र में संस्था नोंदणी अभियान
- वक्फ ज़मीनों के विकास को दी जाएगी प्राथमिकता
- कैश वक्फ के रूप में निधि जुटाने की नई योजना
- वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी ने दी जानकारी

सीएस नगर (औरंगाबाद), प्रतिनिधि:

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को अधिक सक्षम और गतिशील बनाने के उद्देश्य से पूरे राज्य में वक्फ संस्थाओं की नोंदणी (पंजीकरण) मुहिम चलाई जाएगी। इसके साथ ही, संस्थाओं में चल रहे विवादों को सुलझाने और वक्फ ज़मीनों के विकास के लिए प्रत्येक जिले में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने बताया कि अब राज्य के प्रत्येक जिले में वक्फ कार्यालय स्थापित हो चुका है जिससे लोगों को त्वरित न्याय और सेवा उपलब्ध कराना संभव होगा। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाकर उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता दी जाएगी।

आय में बढ़ोतरी और विकास ही संस्थाओं की मज़बूती का आधार

जमियत उलमा-ए-हिंद की ओर से अकोला जिले के सनोरी स्थित एक मदरसे में मुतवल्लियों, संस्था संचालकों और धर्मगुरुओं का जनजागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने वक्फ बोर्ड की गत चार वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि २०२१ में वक्फ बोर्ड की आय करीब ढाई से तीन करोड़ रुपये थी, जिसे अब ११ करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ एक धार्मिक संस्था होने के कारण सरकार द्वारा वेतन के लिए कोई निधि नहीं दी जाती, फिर भी कार्यालयों की स्थापना, कार्यप्रणाली का डिजिटलीकरण और संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए लगभग ५० करोड़ रुपये का बजट जुटाया गया है।

काज़ी ने मुतवल्लियों से अपील की कि जिन संस्थाओं के पास ज़मीनें उपलब्ध हैं, वे उनके विकास में आगे आएं क्योंकि यही समय की मांग है।

नया कानून आया है, डरें नहीं लेकिन गड़बड़ी न करें

काज़ी ने बताया कि नया केंद्रीय वक्फ कानून लागू हो चुका है जिसमें कई नई धाराएँ शामिल हैं। यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित भी हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड उसे कानूनन लड़ने में सक्षम है। लेकिन यदि किसी संस्था में विवाद है, तो उसे शीघ्र सुलझाएं अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संस्थाओं में चल रहे विवादों के कारण उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। इसी कारण वक्फ बोर्ड हर जिले में तनावमुक्ति शिविर' आयोजित करेगा। वहीं नयी नोंदणी के लिए भी जिला स्तर पर शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी छह महीनों में सभी संस्थाओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

मस्जिद निर्माण के लिए अब अनापत्ति प्रमाणपत्र (छजउ) ज़रूरी

समीर काज़ी ने स्पष्ट किया कि अब यदि कोई मस्जिद का निर्माण करना चाहता है, तो पंजीकरण के बाद विधिवत निर्माण अनुमति लेना आवश्यक होगा। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए गए तो तीन दिनों में एनओसी जारी की जाएगी। अन्यथा उस निर्माण को अवैध घोषित किया जाएगा।

उन्होंने समाज से अपील की कि ज़मीन विधिवत रूप से ख़रीदकर या वक्फ की ज़मीन पर ही मस्जिद निर्माण करें, सरकारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।

कैश वक्फ की नई अवधारणा - समाजोपयोगी कार्यों के लिए होगा दान का उपयोग

अब दानदाताओं को कैश वक्फ के रूप में नकद दान देने की सुविधा मिलेगी। इस नई योजना के अंतर्गत एकत्र राशि का उपयोग बचत समूहों के आधार पर ग़रीब महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के व्यवसाय हेतु ऋण, योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और राज्य की मस्जिदों के इमामों को वेतन देने जैसे समाजोपयोगी कार्यों के लिए किया जाएगा।

काज़ी ने राज्य के दानदाताओं से अपील की कि वे कैश वक्फ में उदारता से योगदान दें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनैद का स्पष्टीकरण

वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सय्यद जुनैद ने इस सम्मेलन में कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाया जाता है कि वक्फ बोर्ड निर्णयों में देरी करता है, लेकिन इसका कारण संस्थाओं के आपसी विवाद होते हैं। राज्य में लाखों वक्फ संस्थाएं हैं, सभी को समय पर न्याय देना संभव नहीं होता, परंतु यदि दस्तावेज़ विधिवत तरीके से प्रस्तुत किए जाएं और मामला विवाद रहित हो, तो कार्य शीघ्र ही हो जाता है।

जुनैद ने कहा कि अक्सर मुतवल्ली आपस में झगड़ते हैं और फिर वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हैं - यह अनुचित है। यदि प्रस्ताव पहले से विवादमुक्त हो, तो बोर्ड के लिए कार्य करना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब जिला स्तर पर सभी आवश्यक सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व:

समीर काज़ी - अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड

सय्यद जुनैद - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड

मुशीर शेख - उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

खुसरो पठान - विशेष अधीक्षक

तेहवार पठान - सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील

नदीम सिद्दीकी - राज्य अध्यक्ष, जमियत उलेमा-ए-हिंद

मौलाना रोशन साहब

हसनैन शाकिर - सदस्य

एस. ए. हाशमी

अन्य धर्मगुरु, मुतवल्ली, विदर्भ क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

तामीर कार्यालय में लेखक शेख अरशद का स्वागत

बीड (संवाददाता):

विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट, स्तंभ लेखक शेख अरशद कि हाल ही में मराठी में प्रकाशित हुई पुस्तक इस्लाम: द अल्टिमेट आर्ट ऑफ लिविंग को काफी लोकप्रियता मिली है। इस पुस्तक का उद्देश्य इस्लाम के संदेश को सरल भाषा में संपूर्ण मानवता तक पहुँचाना है। फिलहाल यह पुस्तक अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में भी प्रकाशित होने की तैयारी के चरण में है।

बीड की यात्रा के दौरान आज शेख अरशद दैनिक तामीर के कार्यालय पधारे, जहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यह स्वागत महाराष्ट्र मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष वसंत मुंडे के हाथों संपन्न हुआ।

इस अवसर पर तामीर के संपादक क़ाज़ी मखदूम, शफ़ीक़ हाशमी, मस्तान सर, अमर जान पठान, मुज़म्मिल सिद्दीकी, क़ाज़ी समीर, क़ाज़ी हम्माद, क़ाज़ी रेहान और मोहम्मद आमिर सहित कई अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

महाराष्ट्र सरकार में महायुति के ६२% मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि वाले-प्रा.सुशीला मोराळे

बीड प्रतिनिधि:

महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा अधिवेशन में बीते तीन-चार दिनों से लगातार हंगामा जारी है। गोपीचंद पडळकर और जीतेन्द्र आव्हाड के बीच झगड़ा मारपीट तक पहुँच गया, उससे पहले परब और शंभूराज देसाई के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। आम जनता ने सदन में अपशब्दों और माँ-बहनों पर गालियों का तमाशा देखा। यह सब सदन में पहली बार नहीं हो रहा है - जैसा बोया जाता है, वैसा ही फलता है।

आज विधानसभा में चुनकर आने का अलिखित नियम यही बन गया है कि जिसके ऊपर जितने ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, उसे टिकट मिलने की संभावना उतनी ही अधिक है। असली अर्बन नक्सलवाद तो अब विधानसभाओं में घुस चुका है। सख़्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बुक्केवाले' (मारपीट करने वाले) सदन में कैसे पहुँच जाते हैं? यह एक गंभीर सवाल है। असली कार्यकर्ताओं को पास नहीं मिलते, लेकिन गुंडागर्दी प्रवृत्ति के नेताओं को कौन पास देता है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है।

फडणवीस, शिंदे और दादा पवार की महायुति सरकार के ६२% मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (-ऊठ) के एक संयुक्त सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वर्तमान सरकार में कुल ४२ मंत्री हैं, जिनमें से २६ मंत्रियों पर विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इन मामलों की जानकारी स्वयं मंत्रियों द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ दिए गए शपथपत्रों में से प्राप्त हुई है।

गंभीर अपराधों के आंकड़े:

१७ मंत्रियों (लगभग ४०%) पर हत्या की कोशिश, महिलाओं से जुड़ी धोखाधड़ी, वसूली जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं।

भाजपा के २० में से १६ मंत्री (यानी ८०%) आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, जिनमें से १० पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ३ मंत्रियों पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं।

शिवसेना के १२ मंत्रियों में से ६ पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से ३ पर गंभीर आरोप हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित गुट) के १० मंत्रियों में से ४ पर आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

संपत्ति और शिक्षा की स्थिति:

इस मंत्रिमंडल में मंगल प्रभात लोढ़ा सबसे अमीर मंत्री हैं, जिनकी कुल संपत्ति ४४७.०९ करोड़ रुपये है।

सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री प्रकाश आबिटकर हैं, जिनकी संपत्ति १.६ करोड़ रुपये है। वे शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) की पृष्ठभूमि से हैं और राधानगरी से विधायक हैं।

४२ मंत्रियों में से १३ मंत्रियों ने अपनी शिक्षा केवल ८वीं से १२वीं तक बताई है, जबकि २५ मंत्रियों की शिक्षा स्नातक या स्नातकोत्तर है और ४ डिप्लोमा धारक हैं।

आयु के आधार पर, २९ मंत्री ५१ से ८० वर्ष के हैं और १३ मंत्री ५० वर्ष से कम आयु के हैं।

मंत्रिमंडल में चारों महिलाएं (१००%) को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

प्रा. सुशीलाताई मोराळे ने कहा कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रिमंडल से अच्छे प्रशासन की उम्मीद करना मुश्किल है। उन्होंने विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस के कथित तौर पर अपमानित होने की भी बात कही और कहा कि उन्होंने अपने जवाब में दुःख ज़ाहिर किया, लेकिन असली दुःख यह है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और उन्हें खुद इस काले दौर को रोकना होगा।

उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ मंत्रियों की स्थिति है, लेकिन विधायकों की स्थिति और भी बदतर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ही अब अपराधियों को संरक्षण दे रही है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

कृषि मंत्री को रमी खेलते पकड़ा गया? रोहित पवार ने वायरल किया वीडियो, कोकाटे बोले-गेम स्किप कर रहा था

रिपोर्ट: ज़मीर काज़ी, मुंबई

मुंबई, २० जुलाई:

हमेशा विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मानसून सत्र के दौरान विधान परिषद में बैठे-बैठे उनके द्वारा मोबाइल पर रमी गेम खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है।

यह वीडियो राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता और विधायक रोहित पवार ने रविवार सुबह 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया। इस १८ सेकंड के वीडियो में स्पष्ट तौर पर कोकाटे मोबाइल पर रमी खेलते नज़र आ रहे हैं।

रोहित पवार ने पोस्ट में लिखा:

जंगली रमी पे आओ ना महाराज!

सत्ताधारी राष्ट्रवादी को कोई भी फैसला बीजेपी से पूछे बिना लेना आता नहीं।

राज्य में खेती से जुड़े हजारों सवाल लंबित हैं।

हर दिन औसतन ८ किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

पर इन मंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए कृषि मंत्री रमी खेल रहे हैं!

इस वीडियो के सामने आते ही राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया और सोशल मीडिया पर चारों ओर से आलोचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

कोकाटे ने दी सफाई: रमी नहीं खेल रहा था, गेम स्किप कर रहा था

मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा:

विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, मैं निचले सदन की चर्चा देखने के लिए यूट्यूब पर वीडियो चला रहा था। उसी दौरान रमी गेम का विज्ञापन आया, जिसे मैं स्किप कर रहा था।

मुझे इस वीडियो के वायरल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन १८ सेकंड का वीडियो जानबूझकर वायरल कर मुझे बदनाम किया जा रहा है।

रोहित पवार पहले यह बताएं कि उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया है?

इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने

संजय राऊत (ठाकरे गुट) ने दावा किया कि

अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को चार मंत्रियों को हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें माणिकराव कोकाटे भी शामिल हैं।

नाना पटोले, अंबादास दानवे, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड और बच्चू कडू जैसे कई विपक्षी नेताओं ने कोकाटे के इस्तीफे की मांग की है।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने भी नाराजगी जताई है, जबकि

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कोकाटे का बचाव करते हुए कहा:

अगर आमिर खान या शाहरुख खान रमी खेल सकते हैं, तो मंत्री ने खेला तो कौन सा गुनाह कर दिया?

राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुनिल तटकरे ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा: कोकाटे जिम्मेदार मंत्री हैं। अगर उन्हें कोई सलाह देनी है तो पार्टी उन्हें उचित निर्देश देगी। यह विवाद अब केवल राजनीतिक नोकझोंक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सदन में आचरण और मंत्रियों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

अर्धा मसला मस्जिद विस्फोट मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रिपोर्ट: काज़ी अमान, बीड़

बीड़ ज़िले के गेवराई तहसील स्थित अर्धा मसला गांव की मस्जिद में हुए बम विस्फोट प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। इस मामले में सरकारी वकील बी.एस. राख और फरियादी पक्ष की ओर से एडवोकेट सैय्यद अजहर अली ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था, जिसके चलते विशेष न्यायालय ने यह याचिका नामंजूर कर दी।

घटना का विस्तृत विवरण:

दिनांक २९ मार्च २०२५ को अर्धा मसला गांव में स्थित हजरत सैय्यद बादशाह रह. के संदल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गांव के सभी हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान विजय गव्हाणे और श्रीराम सागळे नामक आरोपियों ने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह कहते हुए धमकाया कि यह नई मस्जिद हम गिरा देंगे, और गाली-गलौच की।

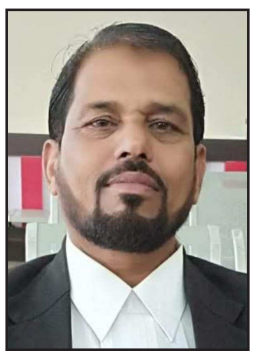

रात लगभग २ से ३ बजे के बीच अर्धा मसला स्थित मक्का मस्जिद में विस्फोट हुआ। पास ही रहने वाले सैय्यद मजहर और अन्य लोगों ने जब मस्जिद का मुआयना किया तो पाया कि खिड़कियां, दरवाज़े, फर्श, धार्मिक ग्रंथ आदि को गंभीर नुकसान पहुँचा था। धार्मिक किताबें बिखरी हुई पड़ी थीं।

घटना स्थल से विजय गव्हाणे और श्रीराम सागळे को भागते हुए लोगों ने देखा।

फरियादी राशिद अली हुसैन सैय्यद ने तलवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि इन आरोपियों ने जिलेटिन की छड़ों से मस्जिद में विस्फोट कर दो समुदायों में नफरत फैलाने की कोशिश की और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत कीं। इतना ही नहीं, आरोपी विजय गव्हाणे ने इंस्टाग्राम पर जिलेटिन की छड़ पकड़े हुए वीडियो भी वायरल किया था।

इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएँ ११३, २९८, २९९, १९६, ३२६(ऋ), ३५१, ३५२, ६१(२)(३)(५) के अंतर्गत, भारतीय विस्फोटक पदार्थ कानून की धाराएँ ३, ४, ५, और ण-झ- की धाराएँ १५, १६, १८ के तहत गु.र.सं. १०८/२०२५ के अनुसार मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर बीड़ की विशेष अदालत में पेश किया गया था। उन्हें दो बार पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने जांच में आरोपियों के पास से विस्फोटक वायर, जिलेटिन की छड़ें, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की थी।

बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसके पश्चात विजय गव्हाणे और श्रीराम सागळे ने जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत में इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील बी.एस. राख और फरियादी पक्ष के वकील एडवोकेट सैय्यद अजहर अली ने याचिका का कड़ा विरोध किया।

विशेष न्यायाधीश पाटवदकर ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में एडवोकेट सैय्यद अजहर अली को फरियादी राशिद अली हुसैन सैय्यद के साथ एडवोकेट शेख सादिक, अज़ीम, जोहैब, अस्लम, वसीम और अन्य साथियों का भरपूर सहयोग मिला।

मीडिया को सकारात्मक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता पर अधिक जोर देना चाहिए- जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन

बीड, २० जुलाई (जिमाका):

समृद्ध लोकतंत्र के लिए मीडिया, प्रशासन और नागरिकों के बीच समन्वय आवश्यक है। नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने में मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मीडिया को सकारात्मक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता को अधिक महत्व देना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन ने आज बीड में किया।

यह आयोजन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन के सभागार में किया गया था। यह एक दिवसीय कार्यशाला, बीड जिला सूचना कार्यालय (महाराष्ट्र सरकार के जनसंपर्क महानिदेशालय) द्वारा आयोजित की गई थी। उद्घाटन जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन के हाथों हुआ।

इस अवसर पर प्रमुख मार्गदर्शक दीपक रंगारी, मीडिया विशेषज्ञ डॉ. प्रभू गोरे, प्रा. शिवशंकर पटवारी और जिला सूचना अधिकारी डॉ. श्याम टरके उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर की प्रतिमा का पूजन और दीप प्रज्वलन करके की गई।

जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन ने कहा कि शासन और जिला प्रशासन जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अब तालुका स्तर पर भी जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में मीडिया जनमत निर्माण का प्रभावशाली कार्य करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल युग में नागरिकों तक सत्य, सटीक जानकारी पहुँचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। साथ ही नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी मीडिया का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से पत्रकारों को सरकार की योजनाओं, रियायतों और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होगी, जिसका उन्हें लाभ लेना चाहिए।

कार्यक्रम का प्रस्तावना और आभार प्रदर्शन डॉ. श्याम टरके ने किया। संपादक बाळासाहेब फपाळ ने प्रतिनिधि स्वरूप में अपने विचार व्यक्त किए।

विशेषज्ञों का मार्गदर्शन

इस कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर मीडिया विशेषज्ञों ने पत्रकारों को मार्गदर्शन प्रदान किया:

प्रा. दीपक रंगारी ने समाचार संकलन और संपादन में शुद्धलेखन का महत्त्व विषय पर बात की। उन्होंने मराठी भाषा के व्याकरण, शुद्धलेखन के नियमों, तत्सम-तद्भव शब्दों, और वाक्य संरचना पर विस्तार से जानकारी दी।

डॉ. श्याम टरके ने पत्रकार अधिस्वीकृति नियमावली, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सम्मान योजना और शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधि पर जानकारी दी।

डॉ. प्रभू गोरे ने सोशल मीडिया लेखन कौशल विषय पर बताया कि लेखन में संक्षिप्तता, सीधा संदेश, प्रभावी हेडलाइन, उचित हैशटैग, ग्राफिक्स का प्रयोग और नियमित पोस्टिंग कैसे करनी चाहिए।

प्रा. शिवशंकर पटवारी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पत्रकारिता पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता में पहले और अब के दौर में क्या बदलाव आए हैं और आज के दौर में कौन-कौन से सॉफ्टवेयर और एप्स पत्रकारिता में उपयोग हो रहे हैं।

कार्यशाला में जिले के विभिन्न पत्रकार संघों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, संपादक, रिपोर्टर व अन्य पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

ऐतिहासिक कारंजा टॉवर हरियाली से सजने लगा

रमेशराव गंगाधरे, झुंजार धांडे द्वारा भी वृक्षारोपण

बीड (प्रतिनिधि):

कुछ महीनों पहले तक जिसकी बदहाली देखकर लोगों को बेहद अफसोस होता था, वही ऐतिहासिक कारंजा टॉवर अब धीरे-धीरे अपनी पुरानी रौनक वापस पा रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर की स्थिति में सुधार लाने के लिए अब शहर के नागरिक खुद आगे आ रहे हैं। लोग अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि यह धरोहर सुंदर और आकर्षक दिखे। इसी वजह से अब बीड़ शहर की पहचान माने जाने वाले इस टॉवर की बदहाली धीरे-धीरे दूर हो रही है।

हालांकि दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर से अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन उत्तर दिशा की ओर अभी भी हाथगाड़ियों और लोहे के ढांचों का अतिक्रमण बना हुआ है। लोग अब इस बात की ओर देख रहे हैं कि बीड़ नगर परिषद और पुलिस प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा।

इससे पहले जागरूक नागरिक इस ऐतिहासिक इमारत के तीनों तरफ अलग-अलग प्रकार के पेड़ लगाकर इसे हरा-भरा बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार स्वयं खर्च करके वृक्षदान कर रहा है और वहां वृक्षारोपण कर रहा है। इसी के चलते यह ऐतिहासिक धरोहर अब हरियाली से सजने लगी है।

शनिवार, १९ जुलाई २०२५ को वरिष्ठ समाजसेवी और उद्यमी रमेशराव गंगाधरे तथा युवा नेता झुंजार धांडे ने भी यहां पेड़ लगाया। इस अवसर पर शेख वसीम, २०१४ से कारंजा टॉवर के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्र पत्रकार एस.एम. यूसुफ, मधुकर धांडे, हाजी तालेब पटेल, हाजी सलीम, सुरेश शेटे, नवाज खान सहित कई लोग उपस्थित थे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे का डॉ.योगेश क्षीरसागर द्वारा सम्मान

बीड (प्रतिनिधि), २० जुलाई:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने रविवार (२० जुलाई) को बीड़ शहर में डॉ. योगेश क्षीरसागर के संपर्क कार्यालय का सदिच्छा दौरा किया। इस अवसर पर डॉ. योगेश क्षीरसागर एवं डॉ. सारिका क्षीरसागर समेत पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने सांसद तटकरे का सम्मान किया।

इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक धनंजय मुंडे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, विधायक विक्रम काळे, आनंद परांजपे, राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष कल्याण आखाडे, युवा प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण, सामाजिक न्याय विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सुनील मगरे, लतीफ तांबोळी, जिलाध्यक्ष एड. राजेश्वर चव्हाण, पूर्व विधायक संजय दौंड, महिला आघाड़ी की एड. प्रज्ञा खोसरे, रमेश आडसकर, युवा नेता बळीराम गवते, अविनाश नाईकवाडे, आमेर सिद्दीकी, गणेश वाघमारे, शेख इक़बाल समेत पार्टी के कई वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, पूर्व नगरसेवक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

इस भेंट के दौरान आगामी संगठनात्मक गतिविधियाँ, पार्टी विस्तार और स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।

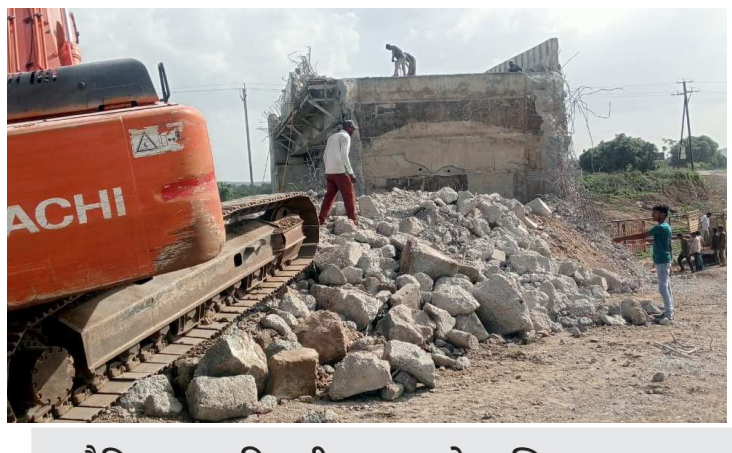

पालवण फाटा रेलवे पुल को तोड़ने का कार्य शुरू - जनता के पैसों की बर्बादी, दोषियों पर कार्रवाई से बच रहा रेलवे प्रशासन : डॉ. गणेश धवले

बीड, २० जुलाई:

अहिल्यानगर-बीड रेलवे मार्ग पर चहाटा रोड स्थित पालवण फाटा में करीब २.७५ करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया रेलवे पुल अब व्यर्थ साबित हुआ है, क्योंकि पुल की दिशा और लोहमार्ग (रेल पथ) का आकलन गलत हो गया। अब इस पुल को तोड़ने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है।

इस पूरे मामले में जनता के कर से एकत्रित सरकारी निधि का भारी दुरुपयोग हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकरण की गहराई से जांच कर संबंधित अभियंता और ठेकेदार कंपनी पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए और उनसे सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। इस मांग को लेकर ५ फरवरी को सामाजिक कार्यकर्ताओं - डॉ. गणेश धवले, शेख युनुस, सुदाम तांदले, रामनाथ खोड, शिवशर्मा शेलार, शेख मुस्ताक, शेख मुबीन, अशोक येडे, रामधन जमाले - ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। उस समय रेलवे सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा ने शीघ्र कार्रवाई होगी ऐसा आश्वासन दिया था।

लेकिन अब साढ़े पांच महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उलटे पुल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे गुस्साए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर रेलवे प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com